

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर
नारायणहरी बनाम राज. सरकार वगै.

किस्म मुकदमा. प्रा. पत्र धारा 136 LRA नं. 58 सन 2025 जीसीएमएस नं.

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12/6/25	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LRA के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 09.07.2025 को पेश हो।</p> <p>(राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)</p>	
09/07/25	<p>आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित होते हुए 2 वीं क्रम की सुनवाई पर ज. द. 11 जवाब एवं वकील प्रार्थी पेश किया गया पत्रावली वाले जवाब दिनांक 03.07.25 को पेश हो</p>	
19.08.24	<p>आज यह पत्रावली पदवारी/दस्तावेज सुनवाई रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हुई हमने वकील प्रार्थी को सुना गया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाणों का अवलोकन किया गया। दस्तावेज उप-</p>	

वकील प्रार्थी को सुना गया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाणों का अवलोकन किया गया। दस्तावेज उप-

— — — मीणा

प्र. ५३३ खरीद कर लिया जाना उचित बताया
गया है।

अतः उक्त के आधार पर हम प्राचीन
पत्र प्राचीन खरीद कर लिया जाना उचित पाते
हैं।

प्राचीन पत्र खरीद कर लिया जाना
सदकीनदत मुख्यालय को आदेशित किया
गया है कि वर्तमान राजस्व विभाग में
हरी नाम के कलम जग किया जाना प्राचीन
का नाम नारायण के स्थान पर नारायणदास
दुकान किया जावे। व खपत सं. ३०६ में
वाटिका बराबर व खपत सं. २९७ में
वाटिका बराबर १/२५, खपत सं. ५३६
में वाटिका बराबर ६/५३ टि. व खपत
सं. ३०५ में वाटिका बराबर १/३ टि.
में प्राचीन व अप्राचीन सं. २ टिकटों को
खपत जारी का इन्साज किया जावे। व
खपत सं. ३०३ में प्राचीन का नाम नारायण
के स्थान पर नारायणदास दुकान किया
जावे।

प्राचीन प्रमाण प्रमाण डोकल नमाल के
का डे वास तकनीक जाकर वाटिका बराबर
है।

राजेश्वराम मिश्रा

उपखण्ड अधिकारी
असिंध (भारतपुर) राज. ०

३०००